राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 139/2016 प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 04.03.2016	तारीख आदेश 10.05.2018

1– पन्ना पिता मोड़ा चमार निवासी बागथला तह0 फूलियाकलां (मृतक)
कायम मुकाम :–
1/1– कीर्तनलाल पिता पन्ना चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
1/2– सीतादेवी पुत्री पन्ना चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
1/3– सोहनीदेवी पत्नि पन्ना चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
1/4– रसालदेवी पुत्री पन्ना चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
1/5– इन्द्रा पुत्री पन्ना चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
2– सोजी पिता मोड़ा चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां
3– रायमल पिता मोड़ा चमार नि0 बागथला तह0 फूलियाकलां

—— प्रार्थीगण

बनाम

1– वैभव कुमार पिता नवल किशोर बहेड़िया नि0 कोठार मोहल्ला, शाहपुरा
2– तहसीलदार, फूलियाकलां

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा – अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम बागथला प0ह0 ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की आ0न0 155, 156, 157, 158, व कुआ आ0न0 165 स्थित होकर पड़ौस मे विपक्षी की कृषि भूमि आ0न0 179 व 180 स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 155, 156, 157, 158, व कुआ आ0न0 165 के पर आने जाने हेतु 10 फिट चौड़ा रास्ता था। इसी रास्ते से सिचाई व कृषि उपकरण जाते ले जाते थे। यह रास्ता आराजी संख्या 176, 177 व 181 की पूर्वी मेड़ से होकर आ0नं0 179 व 180 की पश्चिमी मेड़ से होकर निकलता था जिसे विपक्षीगणों ने बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नही है। अतः आ0न0 179 व 180 मे से होकर 10 फिट चौड़ा रास्ता छोडे जाने बाबत नियमानुसार राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व पूर्व मे ही दिनांक 09.03.2015 को एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण जवाब पेरोकार सरकार एवं मौका रिपोर्ट हेतु नियत किया गया। उसके पश्चात् प्रार्थी नं0 1 पन्ना की मृत्य हो जाने से उसका कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2016 को पेश किया

धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान के आदेश दिये गये। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर दिनांक 10.05.2018 को सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 10.05.2018 को संशोधन उनवान प्रस्तुत किया गया एवं तहसीलदार, फूलियाकलां द्वारा उनके पत्रांक/प्र0स0/139/16 दिनांक 10.05.2018 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों के उपरोक्त खसरा नम्बरों के मध्य आ0न0 179 व 180 स्थित है जो विपक्षी वैभव कुमार पिता नवल किशोर बहेड़िया (महाजन) सा0 शाहपुरा के खातेदारी मे दर्ज है। मौके पर उपस्थित मौतबीरान ने बताया कि प्रार्थी की आ0न0 165 मे पहुँचने के लिये ख0न0 179 व 180 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे रास्ता दे दिया जाय तो भविष्य मे कोई समस्या उत्पन्न नही होगी। इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः खसरा नं0 179 मे से **44 X 4** = 176 वर्गमीटर व खसरा नं0 180 मे से **72 X 4** = 288 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थी के खाते से कम होगी। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि जमा कराये जाने के बाद रास्ता हेतु भूमि दिये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बागथला पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे स्थित प्रार्थीगण की आ0न0 155, 156, 157, 158, व कुआ आ0न0 165 मे आने जाने हेतु विपक्षी नं0 1 की खसरा नं0 179 मे से **44 X 4** = 176 वर्गमीटर व खसरा नं0 180 मे से 72 X 4 = 288 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे भूमि की प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि जमा कराये जाने एवं उक्त राशि अप्रार्थीगण नं0 1 को भुगतान किये जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकला को दिये जाते है। नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा।

आदेश आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं